

## फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद, जिला राजसमन्द

श्री आनन्द रेगर निवासी रेगर मोहल्ला, राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द

– प्रत्यर्थी

मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 06/2026

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p><b>दिनांक 16.02.2026</b></p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांक :- आर.टी.आई/26/199-200 दिनांक 05.02.2026 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी का ऑनलाईन आवेदन संख्या 244088690947612 दिनांक 01.12.2025 का इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन पत्र में चाही गई सूचना के संबंध में प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक आर.टी.आई./25/967 दिनांक 29.12.2025 से सूचना तैयार करने के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित किया गया। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना विस्तृत एवं पुराने रेकार्ड से संबंधित होने से प्रार्थी से सूचना के संबंध में और जानकारी ली गई जिस पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर चाही गई सूचना तैयार कर दी गई है। जो प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। अतः उक्त अपील को खारिज फरमाया जाने की कृपा करावे।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर चाही गई सूचना तैयार कर जरिये पत्रांक आर.टी.आई/2025/196 दिनांक 04.02.2026 से अपीलार्थी को भिजवा दी गई है।</p> <p>अतः अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना अपीलार्थी को जरिये डाक भिजवा/उपलब्ध करा दी जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है।</p> <p>निर्णय की प्रति अपीलार्थी तथा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द को भिजवायी जावे।</p> <p>पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	



*J. S. S. S.*  
लोक सूचना अपीलीय अधिकारी  
(जिला कलक्टर) राजसमंद